न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, जिला जालौन।
परिवाद सं0 591/2021
साहब सिंह प्रति सुदामा दीक्षित

08.06.2022

पत्रावली पेश की गई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवादी का कथन संक्षेप में यह है कि परिवादी ने अपनी भूमि गाटा सं0 1690 मि0 का बैनाम अभियुक्त के हक में दिनांक 16.08.2021 को किया था। उक्त बैनामा वर्णित परिवादपत्र धारा 1 में कुल विक्रय मूल्य 20,00,000/—रूपये अभियुक्त को अदा करना था, जिसमें से अभियुक्त ने 20,000/—रूपये नकद बैनामा के समय अदा किया एवं 5,00,000/—रूपये की चेक सं0 982844 भारतीय स्टेट बैंक शारा उरई दिनांकित 06.08.2021 को परिवादी को दी जिसका भुगतान प्राप्त हो गया। शेष 15,00,000/—रूपये के भुगतान हेतु तीन चेके क्रमशः 982846 मुब0 5,00,000/—रूपये दिनांकित 15.08.2021 एवं चेक सं0 982847, मुब0 5,00,000/—रूपये दिनांकित 15.08.2021 एवं चेक सं0 982845 मुब0 5,00,000/—रूपये दिनांकित 15.10.2021 प्रदान की। उक्त तीनो चेक परिवादी ने भुगतान हेतु अपने खाता में दिनांक 27.10.221 को प्रस्तुत की तब उपरोक्त चेके क्लीयरेंस के पश्चात वहां से इस टिप्पणी के साथ अनादृत होकर दिनांक 08.11.2021 बिना भुगतान वापस कर दी गयी कि चेक के सापेक्ष खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है। परिवादी ने जरिये अधिवक्ता विपक्षी को नोटिस दिनांक 15.11.2021 को उसके पते पर पंजीकृत डाक से भेजा, जिसका परिवादी ने आज तक कोई समुचित उत्तर नहीं दिया। अतः प्रार्थना की है कि न्यायहित में अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट में तलब कर दण्डित किया जाये।

परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में चेक सं0—982846,982847,982845 की मूल प्रति, बैंक मेमो, नोटिस व रजिस्ट्री रसीद मूल रूप से दाखिल किये गये हैं।

मैने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि परिवादी द्वारा जो चेक सं0—982846,982847,982845 की मूल प्रति, बैंक की रसीद, चेक वापिसी मेमो, नोटिस व रजिस्ट्री रसीद मूल रूप से दाखिल किया गया है, उससे परिवादी के कथनों का समर्थन होता है तथा विपक्षी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 138 एन0आई0एक्ट का अपराध बनता प्रतीत होता है। अतः विपक्षी धारा 138 एन0आई0एक्ट के अंतर्गत विचारण हेतु आहूत किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी **सुदामा दीक्षित** को धारा 138 एन0आई0एक्ट के अंतर्गत जरिये समन आहूत किया जाता है। परिवादी लिस्ट गवाहन पेश करे तथा पैरवी अंदर दस दिन में करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिम दिनॉक 08.07.2022 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच